University Court: 21.03.2025

Appendix-VI

राजेस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012025-260555 CG-DL-E-28012025-260555

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] No. 63] नई दिल्ली, बृहस्पतिवर, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2025

फा.सं. CNC-II/093/1/112/2024-25/108.—दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 (1922 का VIII) की धारा 29 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कार्यकारी परिषद् कुलाध्यक्ष (विजिटर) के अनुमोदन के साथ, इसके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय संविधियां, 1922 में संसोधन करने हेतु निम्नलिखित संसोधन करती हैं, नामत: -

1. लघु शीर्षक एव प्रारंभ

- (i) इन संविधियों को दिल्ली विश्वविद्यालय (संसोधन) संविधियां, 2025 कहा जा सकता है।
- (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन तिथि से लागू हो जाएंगे।
- 2. दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922 के संविधियों में, संविधि 9-B में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

621 GI 2025 (1)

मौजूदा	संशोधित					
संविधि 9-B	संविधि 9-B					
विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित होंगे:	विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित होंगे:					
(1) to (44) x x x x	(1) to (44) x x x x					
(45) प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग	(45) सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग					

विकास गुप्ता, कुलसचिव [विज्ञापन-III/4/असा./919/2024-25]

UNIVERSITY OF DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 20 January, 2025

F.No. CNC-II/093/1/112/2024-25/108 —In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 29 of the Delhi University Act 1922 (VIII of 1922), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Delhi University Statutes, 1922, namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Statutes may be called as the Delhi University (Amendment) Statutes, 2025
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi University Statute, 1922, in Statute 9-B, following shall be substituted:

EXISTING STATUTE	AMENDMENT APPROVED					
Statute 9-B	Statute 9-B					
There shall be the following departments established in the University:	There shall be the following department established in the University:					

[भाग Ⅲ—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

(1) to (44)	X	X	Х	>	ζ.	(1) to (44)	X	X	x	x
(45)	Depar	tment	of	Adult	Continuing	(45)	Depa	ırtment	of	Continuing
Education and Extension.				Education and Extension.						

VIKAS GUPTA, REGISTRAR [ADVT.-III/4/Exty./919/2024-25]